उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः–1009–औस/2014–26(2)/ए0एस0/06 दिनांक 22 मार्च, 2014

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यान्चल/पूर्वान्चल/दक्षिणान्चल/पश्चिमान्चल,
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा,
एवं केस्को, कानपुर।

विषय :–बाह्य सेवा प्रदाता (संविदा कार) द्वारा नियोजित कर्मकारों के सम्बन्ध में (ई0पी0एफ0) कर्मचारी भविष्य निधि के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषयक प्रकरण में कारपोरेशन के संज्ञान में यह लाया गया है कि कर्मचारियों की सहकारी समिति द्वारा संविदा कर्मी उपलब्ध कराने के सन्दर्भ में सूचित किया है कि समिति कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम–1952 से मुक्त है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश उपलब्ध कराने का कारपोरेशन से अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के पालन के सम्बन्ध में विदित हों कि जो कर्मचारियों की समितियाँ *सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860* के अन्तर्गत पंजीकृत है उन्हे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम–1952 के अन्तर्गत भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में अपनी इकाई का कोड नं0 तथा समिति के संविदा कर्मियों का कर्मचारी भविष्य निधि खाता आवंटित कराया जाना कानूनी वाध्यता है।

जहॉ तक ऐसी सहकारी समितियों का सम्बन्ध है जो *उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम–1965* के अन्तर्गत पंजीकृत है और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम–1952 के पालन से मुक्त है, इन सहकारी समितियों को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम–1965 की धारा–63 के अन्तर्गत अपने कर्मकारो हेतु अंशदायी भविष्य निधि योजना (सी0पी0एफ0) स्थापित करने की कानूनी वाध्यता है इस योजना का विवरण निम्नवत् हैः–

63–अंशदायी भविष्य निधिः–(1) जिस सहकारी समिति के पास ऐसी संख्या में या ऐसे वर्ग के कर्मचारी हों, जो नियत किये जायें, वह ऐसे कर्मचारियों के लाभ के लिए एक अंशदायी भविष्य निधि स्थापित करेगी, जिसमें समिति के उप–विधियों के अनुसार कर्मचारियों और समिति द्वारा किये गये सभी अंशदान जमा किये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी सहकारी समिति द्वारा स्थापित अंशदायी भविष्य निधिः–

(क) समिति के कारोबार के लिए प्रयोग में नहीं लायी जायेगी।

(ख) समिति की परिसम्पत्तियों का भाग नहीं होगी।

(ग) न कुर्क की जा सकेगी और न किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की किसी अन्य आदेशिका के अधीन होगी और

(घ) धारा 41 के अधीन सहकारी समिति को देय किसी ऋण या अदत्त माँग का भुगतान करने के लिए प्रभार या मुजरायी के अधीन न होगी।

सहकारी समितियों की सम्पत्ति और निधियां

विश्लेषण

1–पिछला कानून
2–इस धारा का सार
3–भविष्य निधि जो नियमों के अनुसार नियत की जाए–उपधारा (1)
(क) कम से कम कर्मचारियों की संख्या
(ख) कर्मचारी का योगदान
(ग)समिति का योगदान
(घ) निधि कहां लगाई जा सकती है
(ड) ब्याज
4– भविष्य निधि व समिति–––– उपधारा (2)
5–अपराध
6–रजिस्ट्रार की इस धारा से सम्बन्धित नियम की शक्ति किन अधिकारियों को मिली है

1–पिछला कानूनः–पिछले कानून में एसी धारा नहीं है। यह नया विषय इस कानून में है।

2–इस धारा का सारः–इस धारा में यह बताया है कि समिति नियमों के अनुसार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक भविष्य निधि बनायेगी जिनमें कुछ भाग कर्मचारी व कुछ भाग समिति जमा करेगी जैसा उसकके बाईलाज में प्राविधान हो। यह भी बताया है कि यह रूपया समिति की सम्पत्ति नहीं है। इसलिए उसको कारोबार में उपयोग नहीं किया जा सकता, न यह किसी कर्जे में न्यायालय या अधिकरण यह अधिकारी द्वारा कुर्क हो सकेगा। समिति अपने कर्जे में भी इस सम्पत्ति को मुजरा नहीं कर सकती–

3–भविष्य निधि जो नियमों के अनुसार नियत की जाए–उपधारा (1)–इस सम्बन्ध में नियमावली का अध्याय 16 है व नियम 201 से 204 है। इनको 5 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है।

(क) **कम से कम कर्मचारियों की संख्या–नियम 201 (1)**– जिस समिति की सेवा में 5 या अधिक कर्मचारी हों, उसके लिए ऐसी निधि की स्थापना आवश्यक है।

(ख) **कर्मचारी का योगदानः**– कर्मचारी कम से कम 5% व अधिक से अधिक 15% अपने वेतन का, जैसा वह चाहे, जमा कर सकता है, नियम 202 (**i**)।

(ग) **समिति का योगदान–नियम 202 (ii)**– समिति अपना भाग वर्ष के अन्त में जमा करेगी। यह उतना होगा जितना प्रबन्ध कमेटी तय करे, परन्तु 6–1/4% से अधिक बिना रजिस्ट्रार की अनुमति के जमा नहीं करेगी और कर्मचारी के द्वारा जमा किये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। परन्तु यदि इन नियमों के लागू होने से पहले से ही इससे अधिक दर के हिसाब से जमा किया जा रहा था, तब अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जैसे कर्मचारी ने 5% जमा किया है, तो समिति का भाग भी 5% से अधिक नहीं होगा। कम हो सकता है। यदि उसने 10% तक के लिए रजिस्ट्रार की आज्ञा लेनी होगी। इस तरह समिति द्वारा न्यूनतम दर के लिए कोई सीमा नहीं है, अधिकतम दर के लिए है।

(घ) **निधि कहां लगाइ जा सकती है:–** इसके लिए नियम 204 है। यह निधि केवल ट्रस्ट ऐक्ट की धारा 20 में बतायी प्रतिभूतियां, पोस्ट आफिस, सेविंग्स बैंक या सरकारों द्वारा अन्य बचत योजनाओं में यह रजिस्ट्रार द्वारा मान्य बैंको में जमा होगी।

(ङ) **ब्याज:–** जो ब्याज भविष्य निधि के विनियोजन से आएगा वह प्रत्येक कर्मचारी के खाते में पिछले वर्ष की समाप्ति पर उसके खाते में जमा राशि के अनुपात से जुड जावेगा। उसके खाते में उसके व समिति दोनों द्वारा जमा की गई धनराशि होती हैं (नियम 203)।

भविष्य निधि के सम्बन्ध में इस अधिनियम, नियम व बाईलाज के अनुसार ही कार्यवाही होगी, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अनुसार नहीं, क्योंकि सहकारी समिति अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, जो सहकारी समितियों के लिए लागू है। इसलिए भविष्य निधि कमिश्नर कोई कार्यवाही इस धारा के अन्तर्गत नहीं कर सकते।

4– **भविष्य निधि व समिति–उपधारा (2)–** भविष्य निधि किसी समिति की सम्पत्ति नहीं है वह कर्मचारी की अवश्य है, परन्तु सेवा से हटने के पश्चात् ही उसे मिल सकती है। इसलिए उसकी सेवा के दौरान वह उसके द्वारा किसी देय के भुगतान को उपलब्ध नहीं होगी।

5– **अपराध:–** यदि प्रबन्ध कमेटी या उसका अधिकारी यह निधि बिना पर्याप्त कारण स्थापित नहीं करता है तो वह धारा 103 (4) के अनुसार अपराध होगा जिसके लिए 250 रूपये तक जुर्माना हो सकता है।

6– **रजिस्ट्रार की इस धारा से सम्बन्धित नियम की शक्ति किन अधिकरियों को मिली है:–**
इस धारा से सम्बन्धित केवल नियम 202 है। इसकी भी शक्ति उन्हीं अधिकारियों को मिली है जिन्हें धारा 61 व 62 में बताया है।

अत: बाह्य ऐजेन्सी/सेवा प्रदाता/संविदा कार्य के रूप में समिति के पंजीकरण की वास्तविक स्थित कि समिति किस अधिनियम (सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1860 अथवा उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम–1965) में पंजीकृत है के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) अथवा अंशदायी भविष्य निधि योजना (सी0पी0एफ) का पालन कराया जाना प्रधान नियोजन का विधिक दायित्व है।

कृपया उक्त वस्तुस्थिति से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को भली भॉति अवगत कराते हुये नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

भवदीय,

(ए0पी0 मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, वेब को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Nat Mathur
22.3.2014
(नवनीत माथुर)
कार्मिक अधिकारी